



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122022-240982  
CG-DL-E-10122022-240982

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 780]

नई दिल्ली, शनिवार, 10, 2022/अग्रहायण 19, 1944

No. 780]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 2022/AGRAHAYANA 19, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

सं. 104/2022-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.874 (अ) .—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.**— (1) इन विनियमों को डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 कहा जायगा। I  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- प्रयोज्यता.**— ये विनियम वस्तुओं के ऐसे निर्यात पर लागू होंगे जो की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जारी किया गया वैध आयात- निर्यात कोड हो और यह निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप-धारा (ड) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी विदेशी डाकघर से तथा अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में किया जा रहा हो।
- परिभाषाएं.**— (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -  
(क) "अधिनियम" का अर्थ है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52);

(ख) "अधिकृत एजेंट" का अर्थ एक निर्यातक द्वारा अधिकृत व्यक्ति है, जिसके पास सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के तहत वैध लाइसेंस है और इसमें सीमा शुल्क ब्रोकर का एक कर्मचारी शामिल है, जिसे उपरोक्त विनियमों के तहत फॉर्म जी में एक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है;

(ग) "बुकिंग पोस्ट ऑफिस" का अर्थ विनियम 6 के उप-विनियम (1) के अनुसार निर्यात वस्तुओं को स्वीकार करने और बुक करने के लिए अधिकृत डाकघर है;

(घ) "ई-कॉमर्स" का अर्थ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट के माध्यम से माल की खरीद और बिक्री है, जिसके लिए भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा;

(ङ) "इलेक्ट्रॉनिक घोषणा" का अर्थ निर्यात वस्तुओं से संबंधित विवरणों की घोषणा है, जो निर्यातक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा पीबीई ऑटोमेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया गया है, जो डाक अधिकारियों द्वारा संचालित और अनुरक्षित है;

(च) "फॉर्म" का मतलब इन नियमों से जुड़े फॉर्म हैं;

(छ) "पी बी ई ऑटोमेटेड सिस्टम" का अर्थ निर्यातक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक घोषणा दाखिल करने के लिए डाक अधिकारियों द्वारा संचालित और अनुरक्षित प्रणाली है।

(2) वे शब्द जो इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो कथित अधिनियम में उन्हें सौंपा गया है।

**4. पीबीई स्वचालित प्रणाली और उसके बाद पंजीकरण.** - (1) डाक प्राधिकरण डाक के माध्यम से माल के निर्यात के लिए इलेक्ट्रॉनिक घोषणा दाखिल करने के लिए पीबीई स्वचालित प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगा।

(2) कोई निर्यातक जो डाक के माध्यम से माल निर्यात करना चाहता है, या उसके अधिकृत एजेंट को पीबीई ऑटोमेटेड सिस्टम पर खुद को पंजीकृत करना होगा।

(3) पीबीई ऑटोमेटेड सिस्टम पंजीकृत व्यक्ति को मान्य और पहचान देगा, और उसे इलेक्ट्रॉनिक घोषणा फाइल करने और उक्त सिस्टम पर सहायक दस्तावेज अपलोड करने में सक्षम करेगा।

**5. डाक निर्यात के लिए इलेक्ट्रॉनिक घोषणा.** - (1) व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए डाक द्वारा माल के निर्यात के लिए, निर्यातक या उसके अधिकृत एजेंट को एक इलेक्ट्रॉनिक घोषणा के माध्यम से निम्न फॉर्म में एक प्रविष्टि करनी होगी, -

(i) ई-कॉमर्स के माध्यम से प्रभावी डाक निर्यात के लिए पोस्टल बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट-III (पी बी ई -III), या

(ii) अन्य सभी डाक निर्यातों के लिए पोस्टल बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट -IV (पी बी ई -IV)

(2) उप-विनियम (1) के संदर्भ के रूप में प्रविष्टि करने वाला व्यक्ति, उक्त प्रविष्टि करते समय, इसकी कंटेंट की सत्यता के रूप में एक घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा, अर्थात्, -

(i) उसमें दी गई जानकारी की सटीकता और पूर्णता;

(ii) इसके समर्थनकारी किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता और वैधता; तथा

(iii) अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत माल से संबंधित प्रतिबंध या निषेध, यदि कोई हो, का अनुपालन।

**6. डाक निर्यात को संभालने के लिए डाकघर.** - (1) डाक प्राधिकरण, बोर्ड के परामर्श से, कुछ डाकघरों को निर्यात वस्तुओं को स्वीकार करने और बुक करने के लिए अधिकृत करेंगे और उनमें से प्रत्येक के लिए संबंधित विदेशी डाकघर भी निर्दिष्ट करेंगे।

(2) निर्यात के लिए इलेक्ट्रॉनिक घोषणा दाखिल करने पर, निर्यातक बुकिंग डाकघर में डाक अधिकारियों को निर्यात माल प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-विनियम (2) में निहित किसी भी नियम के बावजूद, निर्यातक विदेशी डाक घर में डाक अधिकारियों को निर्यात माल भी प्रस्तुत कर सकता है।

(4) निर्यात माल में प्रत्येक पैकेज पर उसके कंटेंट, मूल्य और अन्य विवरणों की घोषणा चिपकायी जानी चाहिए, जो डाक अधिकारियों द्वारा निर्धारित रूप में हो।

(5) डाक अधिकारी बुकिंग डाकघर से संबंधित विदेशी डाकघर में निर्यात माल के सुरक्षित हस्तांतरण या संचालन प्रदान करेंगे, जहां सीमा शुल्क निकासी होगी।

**7. विदेशी डाकघर में निर्यात के लिए माल की निकासी.**— (1) विदेशी डाकघर में आगमन पर, निर्यात माल को प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा निर्देशित किए जाने के अलावा किसी भी तरीके से निपटारा नहीं जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, सीमा शुल्क के उचित अधिकारी की अनुमति के बिना, सीमा शुल्क निकासी के लिए विदेशी डाकघर में आने वाले निर्यात माल के किसी भी पैकेज को नहीं खोलेगा।

(3) इस तरह से स्क्रीनिंग, निरीक्षण, परीक्षा और मूल्यांकन के लिए उक्त उचित अधिकारी की संतुष्टि के लिए डाक अधिकारी निर्यात वस्तुओं और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक घोषणा को विदेशी डाकघर में सीमा शुल्क के उचित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(4) उचित अधिकारी विनियम 5 के तहत की गई प्रविष्टि को सत्यापित कर सकता है, और इस अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान उसी तरह से लागू होंगे, जैसा कि वे अन्य सामानों पर लागू होते हैं, बशर्ते की निर्यात माल के संदर्भ में जहां-जहां भी संशोधन के अधीन कि "धारा 50 के तहत" शब्द और आंकड़े आते हैं, वहां- वहां इनके स्थान पर शब्द और आंकड़े "धारा 84 के तहत" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(5) उचित अधिकारी निर्यात माल के संबंध में निर्यातक या उसके अधिकृत एजेंट से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पी बी ई ऑटोमेटेड सिस्टम पर स्पष्टीकरण या दस्तावेज मांग सकता है।

(6) जहां उचित अधिकारी संतुष्ट है कि दर्ज किए गए सामान प्रतिबंधित सामान नहीं हैं और इस संबंध में उक्त अधिनियम के तहत आंकलित शुल्क, यदि कोई हो और देय किसी भी शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो उचित अधिकारी निर्यात के लिए माल की क्लीयरेंस देने के लिए आदेश दे सकता है।

(7) डाक अधिकारी सीमा शुल्क विभाग को पी बी ई ऑटोमेटेड सिस्टम पर कैप्चर किए गए निर्यात और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डेटा का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

(8) जहां उचित अधिकारी द्वारा आवश्यक या अनुमति दी जाती है, डाक अधिकारी विदेशी डाकघर से बुकिंग डाकघर तक माल का सुरक्षित हस्तांतरण या आवाजाही प्रदान करेंगे।

**8. अभिलेखों का प्रतिधारण.**— (1) निर्यातक या उसका अधिकृत एजेंट पी बी ई ऑटोमेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक घोषणा दाखिल करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए उक्त घोषणा की एक प्रति अपने पास रखेगा, और सभी सहायक दस्तावेज, जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक घोषणा के लिए इस्तेमाल किए गए थे या जिन पर भरोसा किया गया था और जहां आवश्यक हो, उन्हें अधिनियम के तहत या इस समय लागू होने वाला कोई अन्य कानून के तहत किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही के संबंध में सीमा शुल्क के समक्ष पेश किया जाएगा।

**9. अधिकृत एजेंट की भूमिका और जिम्मेदारियां.**— (1) निर्यातक का अधिकृत एजेंट उसकी ओर से इलेक्ट्रॉनिक डिक्लैरेशन फाइल कर सकता है और डाक के माध्यम से निर्यात माल की निकासी से संबंधित कार्यों को करने में निर्यातक की सहायता कर सकता है।

(2) ऐसे एजेंट को अधिकृत करने वाला निर्यातक ऐसे एजेंट द्वारा उसकी ओर से किए गए सभी कार्यों और लेनदेन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इन विनियमों या अधिनियम या इस समय लागू होने वाला कोई अन्य कानून के तहत सरकार या दंडात्मक प्रावधानों के लिए देय किसी भी देय राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) उप-विनियम (2) में निहित किसी भी नियम के बावजूद, अधिकृत एजेंट अधिनियम की धारा 146 के तहत बनाए गए विनियमों और धारा 147 द्वारा शासित होगा।

**10. दंड.**— किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत की जा सकती है, कोई भी व्यक्ति जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, या ऐसे उल्लंघन के लिए उकसाता है या इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, जिसका पालन करना उसका कर्तव्य था, वह अधिनियम की धारा 158 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के तहत निर्दिष्ट राशि तक के दंड का भागी होगा।

## “ पोस्टल बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट -III (पी बी ई- III)

( देखें विनियमन 4 )

(ई-कॉमर्स के माध्यम से माल के निर्यात के लिए)

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट की संख्या और दिनांक	विदेशी डाक घर का कोड	निर्यातक का नाम	निर्यातक का पता	आई ई सी	राज्य का कोड	जी. एस. टी. आइ एन या जो भी लागू हो	ए डी कोड (यदि लागू हो)	अधिकृत एजेंट का विवरण	
								सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस संख्या	नाम और पता
<b>घोषणा</b>									हां/नहीं के रूप में उपयुक्त
1.	हम घोषणा करते हैं कि हम निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ का दावा करना चाहते हैं (क) प्रतिअदायगी (ख) कोई अन्य योजना								
2.	हम घोषणा करते हैं कि हम आई जी एस टी एक्ट की धारा 16 के तहत अपने निर्यात को शून्य देना चाहते हैं								
3.	हम घोषणा करते हैं कि माल को सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी एक्ट्स के अंतर्गत छूट प्राप्त है								
हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि निर्यात के इस डाक बिल को सारमग्री इस तरह से सत्य और सही है।									
(निर्यातक/प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)									
परीक्षण आदेश और रिपोर्ट									
लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर: सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर और तारीख के साथ।									

## पासल का विवरण

क्र.सं. नहीं	कन्साइनों का विवरण		उत्पाद का विवरण				पासल का विवरण			ई-व्यापार ब्योरि				
	नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण	सीटीएच	मात्रा		इनवॉइस नंबर तथा दिनांक	वजन		ई-कॉमर्स ऑपरेटर का जी. एस. टी. आइ एन	यूआरएल (नाम) का वेबसाइट	भुगतान लेन - देन पहचान संख्या	एसकेयू संख्या	डाक ट्रेकिंग संख्या
					इकाई (नग, लीटर, किलोग्राम, मीटर)	संख्या		सकल	निवल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्धारण योग्य मूल्य				कर इनवॉइस या वाणिज्यिक इनवॉइस का विवरण (जो भी लागू हो)			शुल्क/कर का विवरण										कुल		
एफ. ओ. बी	मुद्रा	विनियम दर	राशि भारतीय रुपये में	एच एस कोड	इनवॉइस का विवरण		मूल्य	सीमा शुल्क				जीएसटी का विवरण						शुल्क	उपकर
					इनवॉइस संख्या तथा दिनांक	इनवॉइस के मद की क्र.सं.		निर्यात शुल्क		उपकर		आई जी एस टी (यदि लागू)		छतिपूर्ति उपकर (यदि लागू)		एल्यूटी/बॉन्ड का विवरण (यदि लागू)			
								दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	

## पोस्टल बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट -IV (पी बी ई- IV )

( देखें विनियमन 5 )

( इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है )

बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट की संख्या और दिनांक	विदेशी डाक घर का कोड	निर्यातक का नाम	निर्यातक का पता	आई ई सी	राज्य का कोड	जी. एस. टी आइ एन या जो भी लागू हो	ए डी कोड (यदि लागू हो)	अधिकृत एजेंट का विवरण	
								सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस संख्या	नाम और पता
<b>घोषणा</b>									हां नहीं जैसा उपयुक्त
1	हम घोषणा करते हैं कि हम निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ का दावा करना चाहते हैं (क) प्रतिअदायगी (ख) कोई अन्य योजना								
2	हम घोषणा करते हैं कि हम आई जी एस टी एक्ट की धारा 16 के तहत अपने निर्यात को शून्य दर रखेंगे								
3	हम घोषणा करते हैं कि माल को सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी एक्ट्स के अंतर्गत छूट प्राप्त है								
हम घोषणा करते हैं कि निर्यात के इस पोस्टल बिल ऑफ़- एक्सपोर्ट में दिए गए सभी विवरण हर दृष्टि से सत्य और सही है। (निर्यातक/प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)									
परीक्षण आदेश और रिपोर्ट									

लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर: सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर और तारीख के साथ।

पार्सल का विवरण													
कन्साइनी का विवरण		उत्पाद का विवरण				पार्सल का विवरण			डाक ट्रेकिंग नंबर	सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्धारण योग्य मूल्य			
नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण	सीटीएच	मात्रा		इनवॉइस नंबर तथा दिनांक	वज़न			एफ. ओ. वी	मुद्रा	विनिमय दर	राशि भारतीय रुपये में
				इकाई (नग, लीटर, किलोग्राम, मीटर)	संख्या		सकल	निवल					
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14

कर इनवॉइस या वाणिज्यिक इनवॉइस का विवरण (जो भी लागू हो)				शुल्क/कर का विवरण											
एच एस कोड	इनवॉइस का विवरण		मूल्य	सीमा शुल्क				जी एस टी का विवरण				कुल			
	इनवॉइस संख्या तथा दिनांक	इनवॉइस के मद की क्र.सं.		निर्यात शुल्क		उपकर		आई जी एस टी (यदि लागू)		छतिपूर्ति उपकर (यदि लागू)		एल्यूटी/बॉन्ड का विवरण (यदि लागू)	शुल्क	उपकर	
				दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

[फा. सं. 476/3/2018-एलसी]

अनंत राधाकृष्णन, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2022

**No. 104/2022-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 874(E).**— In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Postal Export (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**- These regulations shall apply to export of goods by any person, holding a valid Import-Export Code issued by the Director General of Foreign Trade, in furtherance of business through a foreign post office appointed by the Board under clause (e) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962.

**3. Definitions.**- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) “authorised agent” means a person authorised by an exporter who has a valid license under the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 and includes an employee of the Customs broker who has been issued a photo identity card in Form G of the said regulations;

(c) “booking post office” means a post office authorised to accept and book export goods in accordance with sub-regulation (1) of regulation 6;

(d) “e-commerce” means buying and selling of goods through the internet on an e-commerce platform, the payment for which shall be done through various electronic means and in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India from time-to-time;

(e) “electronic declaration” means the declaration of the particulars relating to the export goods, filed electronically by the exporter or his authorised agent on the PBE Automated System, operated and maintained by the postal authorities;

(f) “Form” means the Forms appended to these regulations;

(g) “PBE Automated System” means a system operated and maintained by the postal authorities for filing of electronic declaration by exporter or his authorised agent.

(2) The words used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

**4. PBE Automated System and registration thereupon.**- (1) The postal authorities shall set up, operate and maintain the PBE Automated System for filing of electronic declaration for export of goods through post.

(2) An exporter who wishes to export goods through post or his authorised agent shall register himself on the PBE Automated System.

(3) The PBE Automated System shall validate and recognise the registered person and enable him to file electronic declaration and upload supporting documents on the said system.

**5. Electronic declaration for postal export.**- (1) For export of goods by post, in furtherance of the business, the exporter or his authorised agent shall make an entry thereof through an electronic declaration in the following forms, namely-

- (i) Postal Bill of Export-III (PBE-III) for postal exports effected through e-commerce; or
- (ii) Postal Bill of Export-IV (PBE-IV) for all other postal exports.

(2) The person making an entry in terms of sub-regulation (1) shall, while making the said entry, make and subscribe to a declaration as to the truth of its contents and shall ensure the following, namely:-

- (i) the accuracy and completeness of the information given therein;
- (ii) the authenticity and validity of any document supporting it; and
- (iii) compliance with the restriction or prohibition, if any, relating to the goods under the Act or under any other law for the time being in force.

**6. Post offices for handling postal export.-** (1) The postal authorities, in consultation with the Board, shall authorise certain post offices to accept and book export goods and also specify the corresponding foreign post office to each of them.

(2) Upon filing of electronic declaration for export, the exporter shall present the export goods to the postal authorities at a booking post office.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), the exporter may also present the export goods to the postal authorities at a foreign post office.

(4) The export goods shall bear a declaration from the exporter regarding the contents of each of the packages, the value thereof and other particulars to be affixed on the package, in the format laid down by the postal authorities.

(5) The postal authorities shall provide for secure transfer or movement of the export goods from the booking post office to the corresponding foreign post office, where customs clearance shall take place.

**7. Clearance of goods for export at foreign post office.-** (1) On arrival in the foreign post office, the export goods shall not be dealt in any manner except as may be directed by the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, as the case may be.

(2) No person shall, except with the permission of proper officer of Customs, open any package of export goods arrived in the foreign post office for customs clearance.

(3) The postal authorities shall present the export goods and the corresponding electronic declaration to the proper officer of Customs at the foreign post office, in such manner as to the satisfaction of the said proper officer, for screening, inspection, examination and assessment thereof.

(4) The proper officer may verify the entry made under regulation 5, and the provision of section 17 of the Act shall apply, as they apply to other goods, subject to the modification that for the words and figures, "under section 50", wherever they occur in reference to export goods, the words and figures, "under section 84", shall be substituted.

(5) The proper officer may call for clarification or documents, electronically on the PBE Automated System, from the exporter or his authorised agent in relation to the export goods.

(6) Where the proper officer is satisfied that the goods entered are not prohibited goods and the duty, if any, assessed thereon and any charges payable under the Act in respect of the same have been paid, the proper officer may make an order permitting clearance of the goods for export.

(7) The postal authorities shall furnish the proof of export and corresponding electronic data, captured on the PBE Automated System, to Customs.

(8) Where required or permitted by the proper officer, the postal authorities shall provide for secure transfer or movement of goods from foreign post office to booking post office.

**8. Retention of records.-** (1) The exporter or his authorised agent shall retain, for a period of five years from the date of filing an electronic declaration on the PBE Automated System, a copy of the said declaration and all supporting documents, which were used or relied upon for such electronic declaration and, where required, shall produce them before Customs in connection with any action or proceedings under the Act or under any other law for the time being in force.



**9. Role and responsibilities of authorised agent.-** (1) The authorised agent of the exporter may file electronic declaration on his behalf and assist the exporter in performing the functions related to clearance of export goods through post.

(2) The exporter authorising such agent shall be fully responsible for all the operations and transactions performed by such agent on his behalf and shall be liable for payment of any dues owed to the government or penal provisions as applicable under these regulations or the Act or any other law for the time being in force.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), the authorised agent shall be governed by the regulations made under section 146, and section 147 of the Act.

**10. Penalty.-** Without prejudice to any other action which may be taken under the Act, rules or regulations made thereunder or any other law for the time being in force, any person who contravenes any of the provisions of these regulations or abets such contravention or fails to comply with any of the provision of these regulations with which it was his duty to comply, shall be liable to a penalty to an extent of the amount specified under clause (ii) of sub - section (2) of section 158 of the Act.

**“Postal Bill of Export - III (PBE-III)**  
**(see regulation 4)**  
**(For export of goods through E-Commerce)**  
**(To be submitted in duplicate)**

Bill of Export No. and date.	Foreign Post office code	Name of Exporter	Address of Exporter	IEC	State code	GSTIN or as applicable	AD code (if applicabl)	Details of Authorised Agent	
								Customs Broker License No.	Name and address
<b>Declarations</b>									Yes/No as applicable
1.	We declare that we intend to claim rewards under export promotion Scheme (a) Drawback (b) Any other Scheme								
2.	We declare that we intend to zero rate our exports under section 16 of IGST Act.								
3.	We declare that the goods are exempted under CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.								
We hereby declare that the contents of this postal bill of export are true and correct in every respect.									
(Signature of the Exporter/ Authorised agent)									
Examination order and report									
Let Export Order: Signature of officer of Customs along with stamp and date.									

Details of parcel														
Sl. No.	Consignee details		Product details				Details of Parcel			E -commerce particulars				
	Name and Address	Country of destination	Description	CTH	Quantity		Invoice No. and date	Weight		GSTIN of E-commerce operator	URL (Name) of website	Payment transaction ID	SKU No.	Postal tracking number
Unit (pieces, litres, kgs., meters)					Number	Gross		net						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Assessable value under section 14 of the Customs Act				Details of Tax invoice or commercial invoice ( whichever applicable)			Details of duty/tax										Total		
FOB	Currenc	Exchang erate	Amount in INR	H.S code	Invoice details		value	Customs duties				GST details						Duties	Cess
					invoice no. and date	Sl. No. of item in invoice		Export duty		Cess		IGST (if applicable)		Compensation cess (if applicable)		LUT/ bond details (if applicable)			
								rate	amount	rate	amount	rate	amount	rate	amount				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	

**Postal Bill of Export - IV (PBE-IV)**

(see regulation 5)

*(To be submitted in duplicate)*

Bill of Export No. and date.	Foreign Post office code	Name of Exporter	Address of Exporter	IEC	State code	GSTIN or as applicable	AD code (if applicable)	Details of Authorised Agent	
								Customs Broker License No.	Name and address
<b>Declarations</b>									Yes/No as applicable
1	We declare that we intend to claim rewards under export promotion Scheme (a) Drawback (b) Any other Scheme								
2	We declare that we intend to zero rate our exports under section 16 of IGST Act.								
3	We declare that the goods are exempted under CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.								
We hereby declare that the contents of this postal bill of export are true and correct in every respect.									
(Signature of the Exporter/ Authorised agent)									
Examination order and report									
Let Export Order: Signature of officer of Customs along with stamp and date.									

Details of parcel													
Consignee details		Product details				Details of Parcel			Postal tracking number	Assessable value under section 14 of the Customs Act			
Name and Address	Country of destination	Description	CTH	Quantity		Invoice no. and date	Weight			FOB	Currency	Exchange rate	Amount in INR
				Unit (pieces, liters, kgs., meters)	Number		Gross	Net					
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14

Details of Tax invoice or commercial invoice (whichever applicable)				Details of duty/ tax										
H.S code	Invoice details		value	Customs duties				GST details					Total	
	invoice no. and date	Sl. No. of item in invoice		Export duty		Cess		IGST (if applicable)		Compensation cess (if applicable)		LUT/ bond details (if applicable)	Duty	Cess
				rate	amount	rate	amount	rate	amount	rate	amount			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29".

[F. No. 476/3/2018-LC]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.